HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 13th September, 2006

No. Web- 11/H. A. 6/2003/S. 59/2006.– The following draft of amendment which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule A appended to the said Act, is published below for the information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of amendment will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of ten days from the date of uploading of this notification on the official web-site www.haryanatax.com together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of amendment before the expiry of the period so specified:-

Draft Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), in Schedule A, at serial number 7, for the existing explanation, the following explanation shall be substituted, namely:-

"Explanation:-For the purpose of this entry "oil company means" M/s Indian Oil Corporation Limited, M/s Bharat Petroleum Corporation Limited, M/s Hindustan Petroleum Corporation Limited, M/s Indo Burma Petroleum Corporation Limited, M/s Reliance Industries Limited and M/s Numaligarh Refinery Limited".

L.S.M. SALINS
Financial Commissioner and Principal Secretary
to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 सितम्बर, 2006

संख्या वैब 11/ ह0अ0 06 /2003/ धा0 59/ 2006.– संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, इसके द्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट कॉम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर, या इसके पश्चात् सरकार , संशोधन के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़, द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगा।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में, अनुसूची क में, क्रम संख्या 7 में, विद्यमान व्याख्या के स्थान पर, निम्नलिखित व्याख्या प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

''व्याख्याः–इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए ''ऑयल कम्पनी'' से अभिप्राय है, मैसर्ज इन्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज इन्डो बर्मा पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैसर्ज रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्ज नुमालीगढ़ परिष्करणी लिमिटेड।''।

एल.एस.एम. सालिन्स,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

आबकारी तथा कराधान विभाग।